112 की सूचना पर बड़ी कार्रवाई, बारात लौटी बैरंग

- बाजना में बाल विवाह रुकवाया
- 16 वर्षीय बालिका की शादी टली

नवभारत न्यूज

रतलाम/बाजना। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग बाजना द्वारा ग्राम गड़ी कटरा कला में होने जा रहे बाल विवाह को समय रहते रुकवाया गया। जानकारी के अनुसार 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में एक नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बाजना मनीष डावर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.एन. बुधौलिया के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई।

टीम में परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी, पर्यवेक्षक रजनी मइड़ा, ब्लॉक समन्वयक सुल्तान गरवाल, महिला आरक्षक सपना पाल, प्रधान आरक्षक मोहित भूरिया सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। टीम विवाह स्थल ग्राम गड़ी कटरा कला पहुंची, जहां विवाह की तैयारियां चल रही थीं और बारात भी पहुंच चुकी थी। दोनों परिवार मामेरे की रस्म में व्यस्त थे।

टीम ने पहुंचकर दोनों पक्षों से बालिका के जन्म संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन परिजनों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। काफी प्रयास के बाद भी परिवार दस्तावेज देने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद परियोजना अधिकारी एहतेशाम अंसारी के निर्देश पर गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सावित्री मइड़ा को सर्वे पंजी क्रमांक-1 के साथ मौके पर बुलाया गया। सर्वे पंजी में दर्ज जानकारी के अनुसार बालिका अंजू पिता लालू मइड़ा का जन्म वर्ष 2009 में होना पाया गया।

समझाइश के बाद दोनों परिवार बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने पर सहमत

जांच में उसकी उम्र करीब 16 वर्ष 6 माह सामने आई। इसके आधार पर टीम ने दोनों परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होने वाली सजा और जुर्माने की जानकारी दी। समझाइश के बाद दोनों परिवार बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने पर सहमत हुए और लिखित कथन दिए। इसके बाद टीम की मौजूदगी में बारात को वापस रवाना किया गया।

देवास हादसे के बाद महू में पटाखा गोदामों की जांच

पुलिस टीम ने सुरक्षा इंतजाम परखे

महू. देवास में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद महू पुलिस भी सतर्क नजर आई. हादसे को गंभीरता से लेते हुए महू कोतवाली पुलिस ने आंबाचंदन क्षेत्र स्थित दो पटाखा गोदामों की जांच कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. यह कार्रवाई थाना प्रभारी राहुल शर्मा के नेतृत्व में की गई.

जांच के दौरान पुलिस टीम ने गोदामों में मौजूद अग्निशमन उपकरण, बिजली व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा मानकों की स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने गोदाम संचालकों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. साथ ही पटाखों के भंडारण संबंधी लाइसेंस और दस्तावेजों की भी जांच की गई. थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि देवास हादसे के बाद एहतियात के तौर पर यह निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाएगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अनुशासनहीनता पर गिरी गाज

किसान मोर्चा के भिंड जिला अध्यक्ष को पद से हटाया

भोपाल, 14 मई . भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भिंड जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति निरस्त कर दी है. यह कार्रवाई ट्रैक्टर और लग्जरी वाहनों के काफिले के साथ निकाली गई रैली को लेकर की गई. पार्टी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ माना है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार सज्जन सिंह यादव को 27 अप्रैल को भाजपा किसान मोर्चा भिंड का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. नियुक्ति के बाद 13 मई को उनके नेतृत्व में ग्वालियर से भिंड तक ट्रैक्टरों और 100 से अधिक वाहनों का काफिला निकाला गया. इस दौरान शहर में शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और नारेबाजी व लगातार हॉर्न बजने से शोर-शराबे की स्थिति बनी.

भाजपा किसान मोर्चा की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से रैली की जानकारी सामने आई थी. पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत की अपील के विपरीत माना. प्रदेश संगठन ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल कार्रवाई की.

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए. संबंधित पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को भी इसकी सूचना भेज दी गई है. मामला सामने आने के बाद संगठन ने सज्जन सिंह यादव से जवाब भी तलब किया था. उन्होंने सफाई में कहा कि उन्होंने किसी कार्यकर्ता या समर्थक को वाहन लेकर आने के लिए नहीं कहा था और लोग स्वेच्छा से काफिले में शामिल हुए थे. वहीं जयपाल सिंह चावड़ा ने स्पष्ट कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एक नजर में

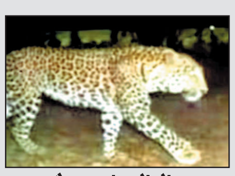

सलैया गांव में तेंदुआ घुसने से अफरा-तफरी

शिवपुरी. करेरा अनुविभाग के सलैया गांव में उस समय दहशत फैल गई जब गांव के बीच स्थित हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर एक तेंदुआ दिखाई दिया. तेंदुए की आमद की खबर फैलते ही ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया और लोगों को पूरी रात जागकर बितानी पड़ी. ग्रामीणों ने अपने परिवार और पालतू जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए 20 से 30 लोगों की टोली बनाकर गांव में निगरानी शुरू कर दी. गांव के जनपद सदस्य बल्लू लोधी ने बताया कि तेंदुए की सूचना पहले ही वन विभाग के रेंजर मीना को दे दी गई थी.

वेतनमान मामले में हाजिर हुए सीएस

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान संबंधी मामले में पूर्व आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाजिर हुए. शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पूरे मामले की पुन: जांच करने और उचित प्रस्ताव रखने के लिए कुछ मोहलत मांगी. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की है. एकलपीठ ने अगली सुनवाई में भी मुख्य सचिव को हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं .दरअसल जबलपुर निवासी हाईकोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी. जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को आदेश पारित करते हुए कहा था यह मामला 27 जून 2015 से सरकार के समक्ष विचाराधीन है.

मुख्यमंत्री ने मेट्रो से किया सफर

- डॉ. यादव ने दिया सार्वजनिक परिवहन अपनाने का संदेश
- दिल्ली मेट्रो में आम यात्रियों के बीच किया सफर

भोपाल, 14 मई. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को दिल्ली प्रवास के दौरान दिल्ली मेट्रो में सफर कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. उन्होंने शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो में यात्रा की और आम यात्रियों के बीच रहकर सफर किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग की अपील पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि मेट्रो जैसे आधुनिक परिवहन साधन समय की बचत के साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने और ट्रैफिक दबाव घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं. डॉ. यादव ने दिल्ली मेट्रो की व्यवस्था, समयबद्धता और यात्री सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के अन्य शहरों में भी इस तरह की व्यवस्थाओं का विस्तार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद अन्य बड़े शहरों में मेट्रो सुविधा का विस्तार भी इसी सोच का हिस्सा है. मुख्यमंत्री के मेट्रो सफर को आम नागरिकों और प्रशासनिक हलकों में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

विधायक को छूट प्रदान करने से हाईकोर्ट का इंकार

अपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई बढ़ी

जबलपुर, 14 मई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. याचिका की सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्राप्त करने युगलपीठ ने आग्रह किया गया. युगल पीठ ने आग्रह को अस्वीकार करते हुए समय अभाव के कारण अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अगल कर रहे है. जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था. याचिका में कहा गया था कि विधायक के यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है. हाईकोर्ट ने विगत 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे. अवमानना याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से पेष किये गये हलफनामा में गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी. उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि आपराधिक अवमानना में दंड का प्रावधान है,जब गलती अक्षम्य हो या संबंधित व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करें. राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा इस मामले में जनहित याचिका दायर की गयी थी.

ओबीसी आरक्षण में अब 16 जून को होगी सुनवाई

जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से जुड़े प्रकरणों में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहीं . चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सामान्य वर्ग की ओर से आरक्षण के विरोध में अपनी दलीलें पेश की गई . जिन्हें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई वैकेशन बाद 16 जून को निर्धारित की है . मामले में गुरुवार को दूसरे दिन हुई सुनवाई पर सामान्य वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और एम नागराज के प्रकरणों के मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए हैं . इसके तहत शीर्ष अदालत ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की है .

लंबित भूमि और अनुबंध कार्य जल्द पूरे होंगे

भोपाल, 14 मई. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने सामुदायिक विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. बैठक में परियोजनाओं से जुड़े लंबित मामलों और संचालन व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि जिन नगरीय निकायों में परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद संचालन एवं संधारण की राशि एस्क्रो खाते में जमा नहीं हो रही है, वहां स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर जल्द राशि जमा कराई जाए. इसके साथ ही भूमि आवंटन, हस्तांतरण, अधिग्रहण और त्रिपक्षीय अनुबंध से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए.

अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने शिकायत निवारण समिति की बैठकें नियमित आयोजित करने और प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया. बैठक में कम्पनी सचिव प्रियंका कुमारी, उप परियोजना संचालक प्रशासन राजीव रंजन पाण्डेय, सीडीओ गिरीश नायर एवं एसजीओ राकेश शाण्डिलय उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न इकाइयों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

आवारा कुत्तों के हमले से चिंकारा की मौत

पानी की तलाश में गांव पहुंचा हिरण

सलामतपुर, 14 मई. भीषण गर्मी और पानी की कमी के चलते जंगली जानवर अब आबादी वाले इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं. ऐसा ही एक मामला वन विभाग की पिपरई बीट अंतर्गत ग्राम सेमरा में सामने आया, जहां पानी की तलाश में गांव में पहुंचे चिंकारा हिरण के करीब डेढ़ साल के बच्चे की आवारा कुत्तों के हमले में मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार चिंकारा का बच्चा जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया था. इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया. कुत्तों के शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कुत्ते चिंकारा के गले पर गंभीर चोट पहुंचा चुके थे. ग्रामीणों द्वारा बचाने की कोशिश के बावजूद उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही ग्राम सरपंच भानु लोधी मौके पर पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी. सूचना मिलने पर वन विभाग के डिप्टी सतीश श्रीवास्तव एवं तारिक खान टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पंचनामा कार्रवाई कर मृत चिकारा को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार चिकारा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं लगातार बढ़ती गर्मी और जलस्त्रोतों के सूखने से जंगली जानवरों के गांवों की ओर आने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती और दोस्तों से मारपीट

- बड़गोंदा थाना में कार सवार युवकों पर केस दर्ज
- इंस्टाग्राम आईडी मांगने को लेकर हुआ विवाद

महू. बड़गोंदा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती और उसके दोस्तों के साथ मारपीट का मामला पुलिस ने दर्ज किया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, घटना 12 मई की शाम करीब 7 बजे छोटी जाम क्षेत्र स्थित पार्वती माता मंदिर तिराहे के पास की है. शिकायतकर्ता युवती ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ जाम गेट घूमने गई थी. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ युवकों ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी मांगना शुरू कर दिया. दोस्तों द्वारा मना करने पर आरोपी उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में कार से पीछा करते हुए छोटी जाम के पास रास्ता रोक लिया.

आरोपियों ने गाली देते हुए युवती और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की. एक ने कार से बांस का डंडा निकालकर हमला किया, जिससे शिकायतकर्ता के सिर में चोट आई. बीच-बचाव करने पहुंची युवती की सहेली को भी चोट लगी. घटना के बाद दोस्तों ने डायल 112 पर सूचना दी. लेकिन, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए. बड़गोंदा पुलिस ने मामले में मेहुल जाट एवं अनद जाट निवासी गांगल्याखेड़ी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और जांच कर रही है.

समीक्षा

हिनौती गौधाम में लगाए जाएंगे पांच हजार पौधे, प्राकृतिक खेती मॉडल विकसित करने पर जोर

गौशालाओं के कार्यों को समय पर पूरा करें : शुक्ला

रीवा, 14 मई. मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में हिनौती गौधाम और बसामन मामा गौ वन्य विहार के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन सभी गौशाला शेड तय समय सीमा में पूरे कराए जाएं और दोनों गौशालाओं को आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित किया जाए.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश प्राकृतिक खेती का आधार है और इन गौशालाओं में प्राकृतिक खेती के मॉडल विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने कामधेनु शेड का एक सप्ताह में लोकार्पण कराने तथा सुरभि और नंदनी शेड का कार्य 10 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए. निजी निवेश से बन रहे तीन नए शेडों का निर्माण 20 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया.

राजेन्द्र शुक्ल ने हिनौती गौधाम में पांच हजार पौधे लगाने की तैयारी अभी से शुरू करने, बाउंड्रीवाल निर्माण और चारागाह विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए. उन्होंने बताया कि गौधाम से मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क निर्माण कार्य को स्टेट फंड से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द काम शुरू होगा.

बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि गौधाम से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, विन्ध्य विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. पंचूलाल प्रजापति सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

सीबीएसई परीक्षा में असफल होने पर छात्र ने फांसी लगाई

शिवपुरी, 14 मई. जिले के देहात थाना क्षेत्र में 12वीं कक्षा के एक छात्र ने सीबीएसई परीक्षा में सफल नहीं होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मृतक छात्र की पहचान आर्यभान सिंह (18) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुधवार शाम घोषित हुए सीबीएसई परीक्षा परिणाम में छात्र के दो विषयों में सप्लीमेंट्री (एटीकेटी) आई थी, जिसके बाद वह काफी उदास हो गया था. सूत्रों के अनुसार छात्र इसके बाद घर की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में चला गया. काफी देर तक नीचे नहीं आने पर परिजन उसे देखने पहुंचे, जहां वह फांसी के फंदे पर लटका मिला.

महू के गायकवाड़ में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

महू. महूगांव नगर परिषद क्षेत्र के गायकवाड़ में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध निर्माण और कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की. दोपहर में शुरू हुई इस कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया. जानकारी के अनुसार, इस स्थान पर पहले भी अवैध कब्जे हटाए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया था. इसी को देखते हुए, इस बार प्रशासन ने पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सख्त कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर तीन थानों का भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. मौके पर एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी और नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी कर रही है.